

सर्वीस केन्द्र के अन्दर ही डाक टिकट के  
प्रयोग (बिना डाक टिकट) के प्रेषण  
अनुबन्ध क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़  
फजट / 38 सि. से. गितार्ड, दिनांक  
30-05-2017



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 जून 2017 — आषाढ 3, शक 1939

वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर  
नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017  
अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-20/2013/स्था./चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2017 कहलायेंगे।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन; संभारणीय संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन; कोषालय अधिकारी एवं प्रचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला;
  - (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
  - (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
  - (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
  - (ङ) "अन्व पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नामांकों के अन्व पिछड़े वर्ग;
  - (च) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;
  - (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची—चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों

को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने वाले के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
- (6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां आर अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण-** शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अम्यथी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर

दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अत्यावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।  
विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए,  
नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ज) अभ्यर्थियों, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर  
अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम  
आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु  
उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन  
छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा  
में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य  
प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक  
अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क - अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से,  
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति  
प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा  
सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी  
महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक  
पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष  
कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे  
सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा,  
जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये,  
मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष

जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा— (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।



(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती:- (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती:- (एक) सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति का गठन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) व उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) व सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों व तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, को उप-नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 30% पदों को, महिला अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, अपेक्षित अनुभव के साथ, उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति के लिये पदों को, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. समिति द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, जून सामान्य की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961

के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें.— (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।
- स्पष्टीकरण.— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसके विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिस लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।
- (2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (3) पदोन्नति, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.— (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों भरने के लिये पर्याप्त होगी।
- (2) ऐसी सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम का चयन, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (मेरिट एवं सभी प्रकार से उपयुक्तता) के आधार पर किया जायेगा।
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।
- स्पष्टीकरण— ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो,

उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्कर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची.— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि, वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. परीक्षा.— (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परीक्षा की कालावधि अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि के दौरान या परीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है तो ऐसे परीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

19. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
20. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

**अनसूची-एक**  
(नियम 5 देखिये)

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, मुख्यालय स्थापना

सं. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	02	तृतीय श्रेणी	9300-34800+ग्रे.वे 4300	
2.	कार्यालय अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800+ग्रे.वे 4300	
3.	सहायक ग्रेड-एक	16	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	04	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
5.	सहायक ग्रेड-दो	27	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 2400	
6.	सहायक ग्रेड-तीन	42	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 1900	

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय

सं. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार्यालय अधीक्षक	02	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
2.	सहायक ग्रेड-एक	14	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	05	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
4.	सहायक ग्रेड-दो	14	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 2400	
5.	सहायक ग्रेड-तीन	18	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 1900	

जिला कार्यालय, जिला कोषालय एवं लेखा प्रशिक्षण शाला

सं. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड-एक	62	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रे.वे 2800	
2.	सहायक ग्रेड-दो	196	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 2400	
3.	सहायक ग्रेड-तीन	244	-तदैव-	5200-20200+ग्रे.वे 1900	

**अनसूची-दो**  
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे गये पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	02	-	100 प्रतिशत	-	
2.	कार्यालय अधीक्षक	03	-	100 प्रतिशत	-	
3.	सहायक ग्रेड-एक	92	-	100 प्रतिशत	-	
4.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	09	100 प्रतिशत	-	-	
5.	सहायक ग्रेड-दो	237	-	100 प्रतिशत	-	
6.	सहायक ग्रेड-तीन	304	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत पदों को ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भरा जायेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी या (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि



						पूर्ण कर चुके हों।
--	--	--	--	--	--	-----------------------

अनुसूची-तीन  
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:-</p> <p>(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड)</p>	आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़

				<p>प्रमाणपत्र परीक्षा</p> <p>उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10,000 की (ज़मल) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>	
2.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी</p>	<p>1. संचालनालय स्थापना के लिये— आयुक्त/ संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़</p> <p>2. संभागीय कार्यालय स्थापना के लिये— संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा</p>

				<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।</p> <p>(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। (मति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>	<p>एवं पेशान,</p> <p>3. जिला कोषालय स्थापना के लिये— जिला कोषालय अधिकारी</p> <p>4. लेखा प्रशिक्षण शाला स्थापना के लिये— प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला</p>
--	--	--	--	---	--

टीप— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

**अनुसूची-चार**  
(नियम 6, 14 एवं 15 देखिये)

सं.क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्रता की न्यूनतम अनुभव अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	1. आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित अपर संचालक - अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक (टी.सी.एस. शाखा) - सदस्य. 3. उप संचालक (टी.सी.एस. शाखा) - सदस्य.
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	5 वर्ष	क. संचालनालय स्थापना के लिये- 1. आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित अपर संचालक -अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. 3. उप संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. ख. संभागीय संयुक्त संचालक तथा उसके क्षेत्राधिकार कार्यालय स्थापना के लिये- 1. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नामांकित उप संचालक -अध्यक्ष. 2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी -सदस्य. 3. सहायक संचालक स्थापना -सदस्य.
3.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	5 वर्ष	क. संचालनालय स्थापना के लिये- 1. आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित अपर संचालक -अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. 3. उप संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. ख. संभागीय संयुक्त संचालक तथा उसके क्षेत्राधिकार कार्यालय स्थापना के लिये- 1. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नामांकित उप संचालक -अध्यक्ष. 2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी -सदस्य. 3. सहायक संचालक स्थापना -सदस्य.
4.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष	क. संचालनालय स्थापना के लिये- 1. आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित अपर संचालक -अध्यक्ष. 2. संयुक्त संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. 3. उप संचालक (टी.सी.एस. शाखा) -सदस्य. ख. संभागीय संयुक्त संचालक तथा

				<p>उसके क्षेत्राधिकार कार्यालय स्थापना के लिये-</p> <p>1. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नामांकित उप संचालक -अध्यक्ष.</p> <p>2. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी -सदस्य.</p> <p>3. सहायक संचालक स्थापना -सदस्य.</p>
--	--	--	--	---

टीप-

1. सहायक ग्रेड-दो से सहायक ग्रेड-एक के पद पर पदोन्नति, सहायक ग्रेड-दो की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी।
2. संचालनालय स्थापना में, सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति, मुख्यालय स्थापना द्वारा जारी सहायक ग्रेड-तीन की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी तथा संभागीय स्थापना में, सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी सहायक ग्रेड-तीन की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी।
3. संचालनालय स्थापना में, भृत्य से सहायक ग्रेड-तीन के पद पर पदोन्नति, मुख्यालय स्थापना द्वारा जारी भृत्य की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी तथा संभागीय स्थापना में, भृत्य से सहायक ग्रेड-तीन के पद पर पदोन्नति, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी भृत्य की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी।
4. यदि लोक हित/प्रशासकीय आधार पर, सहायक ग्रेड-तीन का स्थानांतरण एक संभाग से दूसरे संभाग की स्थापना अथवा संचालनालय की स्थापना में होता है तो ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता, उस वर्ष की पदक्रम सूची में नियुक्ति वर्ष के क्रम में निर्धारित की जायेगी।
5. यदि सहायक ग्रेड-तीन का स्थानांतरण, एक संभाग से दूसरे संभाग की स्थापना या संचालनालय की स्थापना में, स्वयं के अनुरोध पर अथवा आपसी सहमति के आधार पर होता है, तो ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थानांतरित वर्ष की पदक्रम सूची में, अंतिम स्थान पर निर्धारित की जायेगी।